



निष्पादित 21/02/2023

न्यायालय निलाम पत्र पदाधिकारी-सह- अंचल अधिकारी, जमुआ गिरिडीह

अभिलेख संख्या- 01/2022-23

मूल्य-
कोर्ट फी-
कुल राशि-

अभिलेख का प्रकार- निलाम पत्र पाठ

देश की तिथि
21/2/2023

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर
बैंक का नाम बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा
देनदार मुस्लिम अंसारी पिता/पति श.ली.
अन्स गिचा ग्राम कादि रोड पोस्ट श.ली.
थाना हिरोडीह जिला-गिरिडीह के विरुद्ध मो. 46.631.79
.....रूपये की वसूली लॉक मॉग अधिनियम की धारा-5 के
अन्तर्गत अधियाचना पत्र देकर प्रमाण पत्र मुकदमा दायर किया गया है।
अधियाचना पत्र के साथ देनदार द्वारा किया गया लोक मॉग वसूली अधिनियम के
अधीन वसूली हेतु इकरारनामा की प्रति लेखा विवरणी तथा अन्य मान्य कागजात
दाखिल किया गया है।

मुकदमे की स्वीकृति हेतु मो. 9502
.....रूपये मूल्य का कोर्ट फी स्टाम्प दायर किया गया है। स्टाम्प दायर करने
हेतु समय की मॉग की गई है। जिसे स्वीकार किया जाता है।
पंजी-ग में अंकित करके स्टाम्प दायर मामले में दफा-7 के अन्तर्गत
देनदार/जमानतदार को सूचना प्रप.-1 में नितर्गत करें। जिसका तामिला
अधियाची पदाधिकारी से करायें।

अभिलेख दिनांक 21/02/2023 को उपस्थापित करें।

2/2
नीलाम पत्र पदाधिकारी,
-सह-
अंचल अधिकारी, जमुआ।

21/02/23

अभिलेख उपस्थापित।

देनदार मुस्लिम अंसारी द्वारा संबंधित बैंक
से एक पब्ली प्रकृत किया गया है, जिसका बैंक द्वारा
पुष्टि किया जा रहा है कि प्रकृत खाता निष्पादित हो गया
है एवं पिनाड 16-12-2022 तक उक्त खाता में
कोई अतिरिक्त राशि नहीं है अतः अधिलेख मो.
9502 रुमाफ की जागी है।

2
नीलाम पत्र
अंचल अधिकारी